



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 989]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 2, 2014/वैशाख 12, 1936

No. 989]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 2, 2014/VAISAKHA 12, 1936

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2014

का.आ. 1197(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त राजपत्र अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाले राज्य स्तर पर्यावरण निर्धारण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), कर्नाटक (जिसे इसमें इसके पश्चात् कर्नाटक प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, अर्थात् :—

1. डॉ. एच. एस. रमेश, अध्यक्ष
एम.आई.जी.-8, 'कपिला', न्यू कैंथराज उर्स रोड,
कुवेम्पनगर, मैसूर-570023.
2. डॉ. एच. आर. राजमोह, सदस्य
वैज्ञानिक 'एफ' और भारसाधक अधिकारी,
क्षेत्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र (दक्षिण),
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आई.सी.एम.आर. परिसर),
निर्मल भवन परिसर, निकट ब्याल का ट्रमपेट ऊपरगामी सेतु,
बेल्लारी रोड, पो. कन्मंगला, बंगलौर - 562110.
3. सचिव, सदस्य-सचिव
वन, पारिस्थिकी और पर्यावरण विभाग,
कर्नाटक सरकार ।

2. कर्नाटक प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

3. कर्नाटक प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा, जो उक्त राजपत्र अधिसूचना में प्रगणित हो ।

4. कर्नाटक प्राधिकरण अपने विनिश्चय, इस अधिसूचना द्वारा कर्नाटक राज्य के लिए गठित राज्य स्तर आकलन समिति (एस.ई.ए.सी.) की सिफारिश पर करेगी ।

5. केंद्रीय सरकार, कर्नाटक प्राधिकरण की सहायता के लिए कर्नाटक राज्य सरकार के परामर्श से, निम्नलिखित अध्यक्ष और सदस्यों से मिलकर बनने वाली राज्य स्तर विशेष आकलन समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् एस.ई.ए.सी., कर्नाटक कहा गया है) का गठन करती है, अर्थात् :—

- | | | |
|-----|--|---------|
| 1. | श्री एन. नागन्ना, मुख्य इंजीनियर (सेवानिवृत्त),
सं. 174, 7वां क्रॉस रोड, 5वां सी मुख्य, आर.पी.सी. ले आऊट,
विजयनगर द्वितीय खंड, बंगलौर-560104. | अध्यक्ष |
| 2. | प्रो. डी. एल. मंजूनाथ,
'टुंगा' निकट ईश्वरा मंदिर, गोवारीकोप्पल रोड,
हासन-573202. | सदस्य |
| 3. | डॉ. एस. मंजुप्पा,
विशेष अधिकारी (आर. एंड डी.-वी.टी.यू.),
विश्वविद्यालय बी.डी.टी. इंजीनियरिंग महाविद्यालय,
देवानागिरी-577004. | सदस्य |
| 4. | डॉ. बी. मनोज कुमार,
आचार्य, पर्यावरण इंजीनियरी विभाग,
श्री जयछामराजेन्द्रा इंजीनियरी महाविद्यालय,
मैसूर-570006. | सदस्य |
| 5. | डॉ. बी. एस. जयप्रकाश,
निदेशक,
पर्यावरण और परिसंकटमय पदार्थ प्रबंधन संस्थान (आई.ई.एच.एम.एम.),
208, विज्ञान महाविद्यालय, वी. वी. पुरा,
के. आर. रोड, बंगलौर | सदस्य |
| 6. | डॉ. एम. आई. हुसैन,
डी.ओ.डी.ओ., भारतीय खान ब्यूरो,
खान मंत्रालय, भारत सरकार,
यशवंतपुर, बंगलौर-56002. | सदस्य |
| 7. | डॉ. एच. बी. अरविंद,
आचार्य और अध्यक्ष, सिविल इंजीनियरी विभाग,
बापूजी इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान,
देवानागिरी-577004. | सदस्य |
| 8. | श्री बी. चिकापड्या, आई.एफ.एस. (सेवानिवृत्त),
सं. 135 एन. ब्लॉक, कुवेनपुगारा,
मैसूर-570023. | सदस्य |
| 9. | डॉ. कृष्णामूर्ति एम.,
विश्वविद्यालय अध्यक्ष और आचार्य, सस्य विज्ञान विभाग,
कृषि विज्ञान महाविद्यालय,
बंगलौर - 65. | सदस्य |
| 10. | डॉ. एस. प्रशांथ,
आचार्य और अध्यक्ष, सिविल इंजीनियरी विभाग,
राजकीय इंजीनियरी महाविद्यालय,
हासन-573201. | सदस्य |

- | | | |
|-----|---|-------|
| 11. | डॉ. के. सी. जयरामू,
आचार्य, सिविल इंजीनियरी विभाग,
बंगलौर प्रौद्योगिकी संस्थान, वी. वी. पुरम,
बंगलौर - 560004. | सदस्य |
| 12. | श्री एच. श्रीनिवासइय्या,
20, गीथांजली, 15वां क्रॉस रोड,
5वां मुख्य, आर.एम.वी. द्वितीय खंड, डालर कालोनी,
बंगलौर - 560065. | सदस्य |
| 13. | डॉ. के. बी. उमेश,
आचार्य और अध्यक्ष, कृषि अर्थशास्त्र विभाग,
कृषि महाविद्यालय, गांधी कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय,
बंगलौर । | सदस्य |
| 14. | विशेष निदेशक (तकनीकी प्रकोष्ठ),
वन, पारिस्थिकी और पर्यावरण विभाग,
कर्नाटक सरकार । | सचिव |

6. एस.ई.ए.सी., कर्नाटक के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

7. एस.ई.ए.सी., कर्नाटक ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा, जो उक्त राजपत्र अधिसूचना में प्रगणित हो ।

8. एस.ई.ए.सी., कर्नाटक सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगा और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में मतैक्यता पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि मतैक्यता पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत की राय अभिभावी होगी ।

9. कर्नाटक राज्य सरकार, कर्नाटक प्राधिकरण और एस.ई.ए.सी., कर्नाटक के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए एक अभिकरण को अधिसूचित करेगी और उसके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत आवास, परिवहन और ऐसी अन्य सुविधाओं सहित उसे सभी वित्तीय और संभार तंत्र समर्थन प्रदान करेगी ।

10. कर्नाटक प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों तथा एस.ई.ए.सी., कर्नाटक के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक फीस, यात्रा भत्ते और मंहगाई भत्ते का कर्नाटक राज्य सरकार के विद्यमान नियमों के अनुसार संदाय किया जाएगा ।

[सं. जे-11013/16/2007-आई.ए.II(I)]

अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2014

S.O. 1197(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said Gazette Notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Karnataka (hereinafter referred to as the Authority, Karnataka) comprising of the following Members, namely:—

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | Dr. H.S. Ramesh
MIG-8, 'KAPILA', New Kantharaj Urs Road,
Kuvempunagar, Mysore - 570023 | Chairman |
| 2. | Dr. H.R. Rajmoh,
Scientist 'F' and Officer In-charge Regional | Member |

Occupational Health Center (Southern),
Indian Council of Medical Research (ICMR
Complex), Nirmal Bhavan Complex,
Near Trumpet Flyover of BIAL, Bellary Road,
Kannamangala Post, Bangalore 562110.

3. Secretary, Member-Secretary
Forest, Ecology and Environment Department,
Government of Karnataka

2. The Chairman and Members of the Authority, Karnataka shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Karnataka shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the said Gazette notification.

4. The Authority, Karnataka shall, base its decision on the recommendations of the State level Expert Appraisal Committee (SEAC) constituted for the State of Karnataka by this notification.

5. To assist the Authority, Karnataka, the Central Government, in consultation with the State Government of Karnataka, hereby constitutes the State level Expert Appraisal Committee, Karnataka (hereinafter referred to as SEAC, Karnataka) comprising of the following Chairman and Members, namely :—

- | | | |
|----|---|----------|
| 1. | Shri N. Naganna, Chief Engineer, (Retired),
No.174, 7th Cross, 5th C Main, R.P.C. Layout,
Vijayanagar 2nd Stage, Bangalore – 560104. | Chairman |
| 2. | Prof. D.L. Manjunath,
“Tunga”, Near Eswara Temple, Gowrikoppal Road,
Hassan-573202 | Member |
| 3. | Dr. S. Manjappa,
Special Officer (R&D-VTU), University B.D.T.
College of Engineering, Davanagere-577004. | Member |
| 4. | Dr. B. Manoj Kumar,
Professor ,
Department of Environmental Engineering,
Sri Jayachamarajendra College of Engineering
Mysore-570006. | Member |
| 5. | Dr. B.S. Jai Prakash,
Director,
Institute of Environment and Hazardous Materials
Management (IEHMM),
208, V.V. Pura College of Science, K.R. Road,
Bangalore | Member |
| 6. | Dr. M.I. Hussain,
DODO, Indian Bureau of Mines,
Ministry of Mines, Government of India
Yeshwanthpur, Bangalore- 56002. | Member |
| 7. | Dr. H. B. Aravinda,
Professor and Head,
Department of Civil Engineering,
Bapuji Institute of Engineering and Technology,
Davanagere – 577004 | Member |
| 8. | Sri B. Chikkappaiah IFS (Retd.)
No. 135 N Block, Kuvempunagara,
Mysore-570023. | Member |
| 9. | Dr. Krishnamurthy N.,
University Head and Professor Department of
Agronomy, College of Agriculture Sciences,
Bangalore-65 | Member |

10	Dr. S. Prashanth, Professor and Head Department of Civil Engineering Government Engineering College, Hassan-573201	Member
11	Dr. K. C. Jayaramu, Professor, Department of Civil Engineering, Bangalore Institute of Technology V.V. Puram, Bangalore - 560004	Member
12	Shri H Srinivasaiah #20, Geethanjali, 15 th Cross, 5 th Main R M V 2 nd Stage, Dollars Colony, Bangalore-560065	Member
13	Dr. K. B. Umesh Professor and Head Department of Agriculture Economics, College of Agriculture, Gandhi KrishiVignana Kendra University of Agriculture Sciences, Bangalore.	Member
14	Special Director (Technical Cell), Forest Ecology and Environment Department Government of Karnataka	Secretary

6. The Chairman and Members of SEAC, Karnataka shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The SEAC, Karnataka shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the said Gazette notification.

8. The SEAC, Karnataka shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

9. The State Government of Karnataka shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority, Karnataka and SEAC, Karnataka and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions.

10. The sitting fee, travelling allowance and dearness allowance to the Chairman and Member of the Authority, Karnataka and the Chairman and Members of SEAC, Karnataka shall be paid in accordance with the concerned rules of the State Government of Karnataka.

[No. J-11013/ 16 / 2007- IA.II (I)]

AJAY TYAGI, Jt. Secy.